कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 29.09.2021 द्वारा सत्यनारायण भातरा, प्रधानाचार्य, राउमावि गैसकान, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि अमृतखेडी जिला झालावाड़ किया गया था जिसके विरूद्ध सत्यनारायण भातरा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4626/2021 सत्यनारायण भातरा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए तीन सप्ताह के भीतर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी होने एवं विद्यालय हित में किये गए कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि रूपारामपुरा, जयपुर/राउमावि गोपालपुरा, देवरी, जयपुर अथवा राउमावि मानसरोवर, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खिलाडी को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में वांछित विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्री सत्यनारायण भातरा का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सत्यनारायण/4626/2021 दिनांक: 31/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/कोटा संभाग, जयपुर/कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/झालावाड़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/झालावाड़।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सत्यनारायण भातरा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि अमृतखेडी जिला झालावाड़।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)